

(d) the privileges enjoyed by a recognised Trade Union and the type of assistance received from Government?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) The Indian Trade Unions Act does not contain and provision relating to recognition of Trade Unions by the Government and as such no Trade Unions on National level have been given recognition under the Trade Unions Act.

(b) to (d). In view of (a) above do not arise.

विश्वविद्यालयों के लिये अनुदान

1550. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार से कुल कितनी राशि वार्षिक अनुदान के रूप में दी जाती है ;

(ख) इसके नियतन का आधार क्या है ;

(ग) इस राशि में से प्रत्येक विश्व-विद्यालय को कितनी प्रतिशत राशि मिलती है ;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियत राशि का वितरण समान रूप से किया जाता है अथवा विभिन्न विश्व-विद्यालयों के बीच वितरण के मामले में कोई भेदभाव किया जाता है ;

(ङ) यदि कोई भेदभाव किया जाता है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार वितरण के मामले में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों को ऐसा कोई वार्षिक अनुदान नहीं देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण तथा विकास अनुदान और अन्य विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान प्रदान करता है।

(ख) और (ग) अनुरक्षण अनुदान वास्तविक घाटे के आधार पर दिए जाते हैं। विकास अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकास आवश्यकताओं के निर्धारण के आधार पर दिये जाते हैं। कोई नियत प्रतिशतता नहीं है।

(घ) और (ङ). कार्य प्रणाली यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई स्थूल रूपरेखा के आधार पर विश्वविद्यालय अपनी विकास आयोजनाएं तैयार करते हैं। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विजिटिंग समितियों द्वारा इनकी छानबीन की जाती है और स्वीकृत की गई जरूरतों के आधार पर अनुदान निश्चित किया जाता है।

(च) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। विश्वविद्यालयों को अनुदानों की मात्रा का निश्चय, उन जरूरतों के गुण-दोष के आधार पर, जिनके लिए अनुदान मांगे जाते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर छोड़ दिया जाता है।

Central Vigilance Commission

*1551. Shri Sidheswar Prasad: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Vigilance Commission is not a statutory body;